



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-20062026-273687  
CG-OR-E-20062026-273687

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3110]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3110]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 18 जून, 2026

(रेलवे अधिनियम एक हजार नौ सौ नवासी की धारा बीस ए के तहत सूचना)

का.आ. 3233(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, ओडिशा राज्य के खोर्दा जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर बारंग(BRAG)-मँचेस्वर(MCS) स्टेशनों के बीच KM 426/21-23 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 184 का निर्माण", इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) तहसीलदार, भुवनेश्वर को खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवडा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर बारंग(BRAG)-मँचेस्वर(MCS) स्टेशनों के बीच KM 426/21-23 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 184 के निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20घ की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् ओडिशा राज्य के खोर्दा जिले में “खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवडा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर बारंग(BRAG)-मँचेस्वर(MCS) स्टेशनों के बीच KM 426/21-23 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 184 का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम:-खोर्दा

अनुलग्नक-1

भूमि अनुसूची							
परियोजना का नाम:-आर.ओ.बी-184 का निर्माण							
जिले का नाम:-खुर्दा, प्रभाग का नाम:-खुर्दा रोड, तहसीलदार:- भुवनेश्वर							
क्रम सं.	गाँव का नाम	प्लॉट संख्या	भूमि का किसम	कुल क्षेत्रफल (एकड़) में	अधिग्रहित जमीन (एकड़) में	भूमि का प्रकार	भूमि मालिक का नाम
1	कलारहंग	1767	गोचर	0.470	0.230	सरकारी	रखिता
2	कलारहंग	1769	गोचर	0.700	0.401	सरकारी	रखिता
3	कलारहंग	1763	उन्नत योजना योग्य	15.068	0.860	सरकारी	रखिता
4	कलारहंग	1766	नयनजोडी	3.640	0.067	सरकारी	दक्षिण-पूर्वी रेलवे
5	कलारहंग	1768	सड़क	0.450	0.279	सरकारी	सर्वसाधारण
6	पटिया	1461	उपलब्ध नहीं	0.030	0.000	व्यक्तिगत	ROR उपलब्ध नहीं है
7	पटिया	1598	उपलब्ध नहीं	0.133	0.000	व्यक्तिगत	ROR उपलब्ध नहीं है
8	पटिया	1460	उन्नत योजना योग्य	19.306	2.787	सरकारी	रखिता
9	पटिया	1464	नयनजोडी	12.870	0.345	सरकारी	दक्षिण-पूर्वी रेलवे डिविजन
10	पटिया	1483	नयनजोडी	9.180	0.193	सरकारी	दक्षिण-पूर्वी रेलवे डिविजन
11	पटिया	1484	पतित	1.890	0.048	सरकारी	अबाध जोग्य अनाबादी
12	इंजना	1352/ 1643	पतित	0.145	0.233	व्यक्तिगत	विरबर श्रीचंदन पिता का नाम दिनबंधु श्रीचंदन जाति:खंडायत गाँव:सिंगड़ा थाना:शहीद नगर, भुवनेश्वर

13	इंजन्ना	1346	घरबारी	0.190	0.225	व्यक्तिगत	बलराम दास पिता का नाम सुकांत दास जाति:कंडरा गाँव:गोबिंदरामपाटना थाना:नियाली जिला:कटक
14	इंजन्ना	1347	पतित	0.160	0.369	व्यक्तिगत	बिजय कुमार महापात्र, संजय कुमार महापात्र पिता का नाम नृसिंह चरन महापात्र जाति:ब्राह्मण गाँव:टेलिपाड़ा, डाकघर:बेंटकर, जिला-कटक
15	इंजन्ना	143	बाजेफसल 2	0.055	0.007	व्यक्तिगत	बिक्रम प्रधान, बिचित्र प्रधान, चित्रसेन प्रधान पिता का नाम गुरु चरन प्रधान जाति:खंडायत गाँव:इंजन्ना, पोस्ट-कलारहंग, थाना-मानचेस्वारा, जिला- खोर्दा
16	इंजन्ना	1345	पतित	0.100	0.215	व्यक्तिगत	धुला मलिक पिता का नाम पांडव मलिक जाति:कंडरा गाँव:कृष्णसरनपुर
17	इंजन्ना	1352	ग्रामीण जंगल	0.560	0.222	सरकारी	रखिता
18	इंजन्ना	142	गोचर	0.900	0.455	सरकारी	रखिता
19	इंजन्ना	144	गोचर	0.240	0.087	सरकारी	रखिता
20	इंजन्ना	163	केनाल	5.450	0.259	सरकारी	जल संसाधन विभाग
21	इंजन्ना	1344/ 1621	सड़क	0.460	0.446	सरकारी	सर्वसाधारण
कुल					7.28		

[फा.सं. सीएओ/सीओएन/आरएसपी/बीबीएस/2026/आरओबी संख्या 184/20ए]

महेंद्र पित्ताला, मुख्य अभियंता(निर्माण -III)

## MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

### NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 18th June, 2026

#### Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989

**S.O. 3233(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways(Amendment)Act,1989(24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of Special Railway Project, namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned L.C.NO-184 at KM 426/21-23 between Stations Barang(BRAG)-Mancheswar(MCS) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division.” in Khurda district of Odisha state, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority for Land Acquisition(CALA) & Tahasildar, Bhubaneswar for Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.NO-184 at KM 426/21-23 between Stations Barang(BRAG)-Mancheswar(MCS) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections

and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

### SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, namely "Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.NO-184 at KM 426/21-23 between Stations Barang(BRAG)-Mancheswar(MCS) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division" in Khurda district of Odisha State.

**Name of District:-Khurda**

**Annexure-I**

<b>LAND SCHEDULE</b>							
<b>Name of the Project:- Construction of ROB-184</b>							
<b>Name of the District:-Khurda, Name of the Division:-Khurda Rd., Name of the Tahasil:-Bhubaneswar</b>							
Sl. No.	NAME OF Mouza	PLOT No.	Classification of Land	Total area in Acres	Required Area in ACRES	Type of Land	Name of the Land owner
1	Kalarahang	1767	Gochara	0.470	0.230	Govt.	Rakhita
2	Kalarahang	1769	Gochara	0.700	0.401	Govt.	Rakhita
3	Kalarahang	1763	Unnata Yojana Jogya	15.068	0.860	Govt.	Rakhita
4	Kalarahang	1766	Nayanjori	3.640	0.067	Govt.	Southeast Railway
5	Kalarahang	1768	Road	0.450	0.279	Govt.	Sarba Sadharana
6	Patia	1461	Not available	0.030	0.000	Pvt.	ROR not available
7	Patia	1598	Not available	0.133	0.000	Pvt.	ROR not available
8	Patia	1460	Unnata Yojana Jogya	19.306	2.787	Govt.	Rakhita
9	Patia	1464	Nayanjori	12.870	0.345	Govt.	South Eastern Railway Division
10	Patia	1483	Nayanjori	9.180	0.193	Govt.	South Eastern Railway Division
11	Patia	1484	Patita	1.890	0.048	Govt.	Abada Jogya Anabadi
12	Injana	1352/ 1643	Patita	0.145	0.233	Pvt.	Birabara Shrichandan S/o: Dinabandhu Shrichandan Caste:Khandayata Vill:Singada Thana:Sahid Nagara, Bhubaneswar
13	Injana	1346	Gharabari	0.190	0.225	Pvt.	Balarama Das S/o:Sukanta Das Caste:Kandara Vill:Gobindaramapatana Thana:Niali District:Cuttack
14	Injana	1347	Patita	0.160	0.369	Pvt.	Bijaya Kumar Mahapatra, Sanjaya Kumar Mahapatra S/o: Nrusingha Charana Mahapatra Caste: Brahmana Vill:Tailipada, Po:Bentkar, District- Cuttack
15	Injana	143	Bajefasala 2	0.055	0.007	Pvt.	Bikrama Pradhan, Bichitra Pradhan, Chitrasen Pradhan S/o:Guru Charana Pradhan Caste: Khandayata Vill: Injana. ,Po. -Kalarahang, Thana-Mancheswara, District-Khurda
16	Injana	1345	Patita	0.100	0.215	Pvt.	Dhula Malik S/o:Pandaba Malik Caste:Kandra Vill: Krushnasaranapur
17	Injana	1352	Gramya Jungle	0.560	0.222	Govt.	Rakhita
18	Injana	142	Gochara	0.900	0.455	Govt.	Rakhita

19	Injana	144	Gochara	0.240	0.087	Govt.	Rakhita
20	Injana	163	Canal	5.450	0.259	Govt.	Jala Sechana Bibhaga
21	Injana	1344/ 1621	Road	0.460	0.446	Govt.	Sarba Sadharana
<b>TOTAL</b>					<b>7.28</b>		

[F. No. CAO/CON/RSP/BBS/2026/ROB No.184/20A/]

MAHENDER PITTALA, Chief Engineer (Con-III)